न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 119/2021

शिम्भुदयाल पुत्र शंकरलाल सैनी, जाति माली, निवासी काटलीपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम शिम्भुदयाल अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 18/2021 निर्णय दिनांक 18.10.2021

उपस्थिति :—

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता ————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ——————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 28.02.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शिम्भुदयाल मुकदमा नम्बर 18/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि पटवारी हल्का पंचलगी ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय से पेश की है कि मौजा ग्राम काटलीपुरा पटवार हल्का पंचलगी के हाल खसरा नम्बर 518 रकबा 5.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह रकबा 5.35 व गैर मुमकीन कुआं रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.300 हैक्टर भूमि पर शिम्भुदयाल पुत्र शंकरलाल सैनी ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। जबकि विवादित भूमि से सटक[illegible]सरा नम्बर 506, 159 व 520 रकबा क्रमशः 0.19 हैक्टर, 1.47 हैक्टर व 0.20 [illegible] 1.86 भूमि में सुवा पुत्र मांगू का 1/2 हिस्सा है। सुवा पुत्र मांगू की मृत्यु होने पर उनके वारिसान ओमप्रकाश व चौथमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पुत्र सुवा, कृष्ण व कालूराम पुत्र कालूराम पुत्र जगदीश पौत्र सुवालाल कानाराम नन्दलाल लालचन्द पुत्रगण सुवा जाति धाणक से अपीलान्ट व उसके भाई शीशराम द्वारा उक्त भूमि के 1/2 भाग में सुवा के हिस्से में खसरा नम्बर 506 व 519 का पूर्वी बंटवारे में मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है को सुवा के वारिसान से क्रय किया है। जिसका रकबा 0.300 वर्गमीटर है को दिनांक 28.02.2014 को जरिये इकरारनामा क्रय किया जाकर नोटेरी पब्लिक हंस कुमार से तस्दीक करवाया है उक्त क्रय शुदा भुमि, भूमि खसरा नम्बर 518 से सटकर जोड़ है चूंकि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि चारागाह भूमि से सटकर होने से पटवारी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानकर गलत नोटिस दिया है। जबकि प्रार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर न होकर क्रय शुदा भूमि पर है। पटवारी हल्का ने बिना नपती किए कयास के आधार पर 300 वर्गगज भूमि का प्रार्थी को अतिक्रमी बताया है। अपीलान्ट व उसका भाई शीशराम` उक्त विवादित भूमि पर किराणा की दुकान चलाते है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट व उसके भाई शीशराम दोनो का कब्जा है। लेकिन अपीलान्ट को ही नोटिस दिया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण की पत्रावली देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। दिनांक 27.09.2021 को पत्रावली में आर्डर शीट लिखकर उसको काटा गया है। फिर नई आर्डरशीट लिखी गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए बिना ही निर्णय दिनांक 18.10.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 को खारीज किए जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि मौजा ग्राम काटलीपुरा पटवार हल्का पंचलगी के हाल खसरा नम्बर 518 रकबा 5.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह रकबा 5.35 व गैर मुमकीन कुआं रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.300 हैक्टर भूमि पर शिम्भुदयाल पुत्र शंकरलाल सैनी ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। जबकि विवादित भूमि से सटकर भूमि खसरा नम्बर 506, 159 व 520 रकबा क्रमशः 0.19 हैक्टर, 1.47 हैक्टर व 0.20 हैक्टर कुल रकबा 1.86 भूमि में सुवा पुत्र मांगू का 1/2 हिस्सा है। सुवा पुत्र मांगू की मृत्यु होने पर उसके वारिसान ओमप्रकाश व चौथमल पुत्र सुवा, कृष्ण व कालूराम पुत्र कालूराम पुत्र जगदीश पौत्र सुवालाल कानाराम नन्दलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2022.03.16 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

लालचन्द पुत्रगण सुवा जाति धाणक से अपीलान्ट व उसके भाई शीशराम द्वारा उक्त भूमि के 1/2 भाग में सुवा के हिस्से में खसरा नम्बर 506 व 519 का पूर्वी बंटवारे में मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है को सुवा के वारिसान से क्रय किया है। जिसका रकबा 0.300 वर्गमीटर है को दिनांक 28.02.2014 को जरिये इकरारनामा क्रय किया जाकर नोटेरी पब्लिक हंस कुमार से तस्दीक करवाया है उक्त क्रय शुदा भुमि, भूमि खसरा नम्बर 518 से सटकर जोड़ है चूंकि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि चारागाह भूमि से सटकर होने से पटवारी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानकर गलत नोटिस दिया है। जबकि प्रार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर न होकर क्रय शुदा भूमि पर है। पटवारी हल्का ने बिना नपती किए कयास के आधार पर 300 वर्गगज भूमि का प्रार्थी को अतिक्रमी बताया है। अपीलान्ट व उसका भाई शीशराम` उक्त विवादित भूमि पर किराणा की दुकान चलाते है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट व उसके भाई शीशराम दोनो का कब्जा है। लेकिन अपीलान्ट को ही नोटिस दिया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण की पत्रावली देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। दिनांक 27.09.2021 को पत्रावली में आर्डर शीट लिखकर उसको काटा गया है। फिर नई आर्डरशीट लिखी गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए बिना ही निर्णय दिनांक 18.10.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 को खारीज किए जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम काटलीपुरा पटवार हल्का पंचलगी के हाल खसरा नम्बर 518 रकबा 5.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह रकबा 5.35 व गैर मुमकीन कुआं रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.300 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कच्ची झोपड़ी, टीनशेड व पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे व विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह न होकर खातेदारी भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत समुचित अवसर दिया जाकर विविध प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें मेरी राय में कोई विधिक त्रुटि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रतीत नही होती है। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 उनवानी सरकार बनाम शिम्भुदयाल मुकदमा नम्बर 18/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested